निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्र संख्या /बा0वि0परि0/पो0एवंस्वा0/2020–21, दिनांक 06 नवम्बर, 2020

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः अनुपूरक पुष्टाहार योजना (एस.एन.पी.) के अन्तर्गत तृतीय त्रैमास हेतु (गेहूं एवं चावल) के वितरण के सम्बन्ध में

उपर्युक्त विषयक अनुपूरक पुष्टाहार योजना (एस.एन.पी.) के अन्तर्गत Dry Ration (गेहूं एवं चावल) के वितरण हेतु तृतीय त्रैमास के लिए आपूर्ति निर्देश निर्गत किये गये है।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है :–

- उक्त आपूर्ति निर्देश आपके द्वारा पूर्व में उपलब्ध करायी गयी लाभार्थी संख्या के अनुमान पर आधारित है। अतः वितरण से पूर्व लाभार्थियों का सत्यापन कर लें। सभी लाभार्थियों के सत्यापन के उपरान्त ही वास्तविक लाभार्थियों को वितरण सुनिश्चित किया जाये।
- पहले माह का वितरण दीपावली पर्व के पूर्व किया जाना है एवं शेष वितरण दीपावली के पश्चात् पूर्ण किया जायेगा।
- वितरण के पूर्व राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों द्वारा यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक लाभार्थी का उस लाभार्थी श्रेणी की एस0ओ0पी0 में निर्धारित मात्रा के अनुसार पैकेजिंग की जाये। वितरण के दौरान किसी भी लाभार्थी को गेहूं अथवा चावल का वितरण निर्धारित मात्रा से कम न किया जाये।
- किसी भी खाद्यान्न की कोई मात्रा अवशेष बचती है, तो स्वयं सहायता समूहों द्वारा उसे अगले माह हेतु सुरक्षित रखा जायेगा और यदि मात्रा कम होती है तत्काल काल सेन्टर पर इसकी सूचना दी जाये।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(डा0 सारिका मोहन)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या C-666 **/तद्दिनांक :**

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(डा0 सारिका मोहन)
निदेशक।